उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर० एम० ए० नं०–37/18–19

विकास भारती उर्फ मंडल वगै०

बनाम्

सीता देवी

–: आदेश :–

दिनांक

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता विकास भारती उर्फ मंडल पे०–नंदी प्रसाद मंडल, सा०–गोढ़ीनाल, थाना–गोड्डा(नगर), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर०ई०आर० केश नं०–40/14–15 आदेश दिनांक–16.02.2016 के विरुद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर०ई०आर० केश नं०–40/14–15 आदेश दिनांक–16.02.2016 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत मौजा–गोढ़ीनाल के जमाबंदी सं०–61 दाग नं०–280 रकवा 00–06–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता एवं अन्य पाँच को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष सीता देवी ने निम्न न्यायालय में यह कहकर वाद दायर किया कि मौजा–गोढ़ीनाल जमाबंदी सं०–61 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत लक्ष्मण सिंह के नाम से दर्ज है एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष गत जमाबंदी लक्ष्मण सिंह के पतोहू है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा अपने आवेदन में जमाबंदी रैयत लक्ष्मण सिंह का वंशावली दर्शाया गया एवं उक्त वंशावली में भैरव सिंह को भी दर्शाया गया है। लेकिन वंशावली में भैरव सिंह का कोई वंशज नहीं दिया गया है। इस प्रकार उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा वादगत जमीन से जान बुझकर भैरव सिंह के हिस्से को छिपाया गया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि विपक्षी सं०–01 से 03 ने उत्तरवादी प्रथम पक्ष को विधवा समझकर एवं उसके एक मात्र पुत्र पंकज सिंह की हत्या होने के कारण जबरन दाग नं०–280 की जमीन का विक्रय एवं क्रय कर रहें हैं। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के आवेदन के आधार पर

अपीलकर्त्ता एवं अन्य विपक्षी को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा नोटिश दिया गया। लेकिन अपीलकर्त्ता अचानक बिमार हो गये एवं इलाज के लिए बाहर चले गये एवं इसी दरम्यान अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता एवं अन्य को मौजा–गोढ़ीमाल नं0–503 जमाबंदी सं0–61 दाग नं0–280 रकवा 00–06–00 धुर जमीन से उच्छेद किया गया। बिमारी के इलाज के बाद जब घर वापस आने पर अपीलकर्त्ता की जानकारी मिली तो उन्होंने अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल किया। आदेश का अभिप्रमाणित प्रति दिनांक–11.06.2018 को उन्हें प्राप्त हुआ। इसके बाद अपीलकर्त्ता ने अपील वाद दायर किया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता मौजा–गोढ़ीमाल जमाबंदी सं0–61 दाग नं0–280 के रकवा 00–01–00 धुर जमीन पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहें हैं और अपीलकर्त्ता का दावा रकवा 00–01–00 धुर जमीन पर ही है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने आदेश में उक्त रकवा 00–01–00 धुर जमीन का पहचान हेतु कोई चौहदी अंकित नहीं किया है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर वर्ष 1936 ई0 से लगातार दखलकार है एवं उक्त जमीन के अन्य हिस्सेदार को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर मकान के रूप में 1936 ई0 से ही दखल होने के कारण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत चलने योग्य नहीं था। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को स्थल जाँच करना चाहिए था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त जमीन पर अपीलकर्त्ता एवं अन्य का आवासीय मकान है। चूँकि उक्त जमीन जमाबंदी लक्ष्मण सिंह से अपीलकर्त्ता के पूर्वज भैरो मंडल को कुर्फा के द्वारा वर्ष 1936 ई0 में प्राप्त हुआ था एवं उत्तरवादी प्रथम पक्ष सीता देवी एवं उनके पुत्र पंकज सिंह के द्वारा शपथ पत्र बनाकर कुर्फा का सत्यापन किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से अपील आवेदन के साथ अपील के समयावधि को क्षान्त करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत

आवेदन दाखिल किया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

प्रक्रिया चलने के दौरान अपीलकर्त्ता की ओर से निम्न न्यायालय के अन्य पक्षकार उमा झा, श्याम झा, राम झा, पे0–स्व0 गुलाब झा, सा0–डूमरिया थाना–गोड्डा(मु0), गिरधारी पंडित, पे0–स्व0 विजय पंडित, सा0–गोढ़ीघाट, थाना–गोड्डा (नगर), एवं ब्रहमचारी मंडल, पे0–स्व0 पटरू मंडल, सा0–गोढ़ीमाल, थाना–गोड्डा (नगर), जिला–गोड्डा को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया गया। अपीलकर्त्ता के आवेदन पर उक्त सभी को पक्षकार बनाया गया एवं अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया। उमाकांत झा, श्याम झा एवं राम झा, पे0–स्व0 गुलाब झा की ओर से आवेदन दिया गया कि निम्न न्यायालय के आवेदन में वर्णित जमीन से उनलोगों को कोई सरोकार नहीं है एवं निम्न न्यायालय में भी वाद से नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया था। इसलिए उमाकांत झा वगै0 को वर्तमान अपील में पक्षकार बनाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है और उनलोगों ने पक्षकार बनने से मुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया।

अन्य पक्षकार गिरधारी पंडित एवं ब्रहमचारी मंडल न तो उपस्थित हुए और न ही अपना दाखिल किया है। इससे स्पष्ट होता है कि गिरधारी पंडित एवं ब्रहमचारी मंडल को कुछ नहीं कहना है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता की ओर से दायर किया। यह अपील वाद काल बाधित है। अपीलकर्त्ता की ओर से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत दिया गया आवेदन न तो संतोषजनक है और न ही अपील के काल अवधि को क्षान्त करने के लिए आवेदन में वास्तविक कारण दर्शाया गया है। इसलिए अपीलकर्त्ता को कोई राहत नहीं दिया जा सकता है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता उक्त जमाबंदी से बाहर के व्यक्ति है और उन्होंने कुर्फा के आधार पर उक्त जमीन प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन कानून का सिद्धांत के अनुसार कुर्फा कोई वैध कागजात नहीं है। उक्त कुर्फा कागजात अपीलकर्त्ता को हक प्रदान नहीं कर सकता है। क्योंकि उक्त जमीन रैयती प्रकृति की जमीन है एवं रैयती प्रकृति का जमीन का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है।

उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1393/रा0 दिनांक–20.08.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गोढ़ीमाल थाना नं0–503 अन्तर्गत गैरमजरूआ खाता सं0–61 दाग नं0–280 कुल रकवा 02–15–09 धुर किस्म धानी दोयम कहकर गत सर्वे पर्चा एवं पंजी–2 में लक्षमण सिंह वल्द श्रवण सिंह कौम खेतोरी साकिन–गोढ़ीमाल के नाम से दर्ज है। विपक्षी मो0 सीता देवी जमाबंदी रैयत के वंशज है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–40/14–15 मो0 सीता देवी बनाम् उमा झा वगैरह के मामले में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत विपक्षी उमा झा वगैरह को मौजा–गोढ़ीमाल के जमाबंदी सं0–61 दाग नं0–280 रकवा 00–06–00 धुर जमीन से उच्छेद किया गया है। स्थलीय जाँच में जमाबंदी रैयत के वंशज सीता देवी एवं अन्य ग्रामीण द्वारा बताये गये विवरणी के अनुसार आर0ई0आर0 केश नं0–40/14–15 के मामले में वर्णित भूमि से उच्छेद किये गये व्यक्तियों में से विकास मंडल, पिता–मंदी प्रसाद मंडल को छोड़कर उच्छेद किये गये व्यक्तियों द्वारा किसी अन्य व्यक्तियों को जमीन हस्तांततरित कर दी गई है। वर्णित स्थल पर वर्तमान में निम्न व्यक्तियों का मकान अवस्थित है :– 1. प्रेमलता देवी, पति–अखिलानंद ओझा, 2. माया देवी, पति–विद्यानंद पांडेय, 3. सुनिता देवी, पति–प्रकाश आर्या, 4. रीता देवी, पति–घनश्याम मंडल, 5. ललन साह, पिता–सुबोध साह, 6. विकास मंडल, पिता–मंदी प्रसाद मंडल। मामला संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के उल्लंघन है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–गोढ़ीमाल थाना नं0–503 जमाबंदी सं0–61 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में लक्ष्मण सिंह वल्द श्रवण सिंह कौम–खेतौरी सा0–गोढ़ीमाल के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–280 कुल रकवा 02–15–09 धुर जमीन किस्म धानी दोयम कहकर दर्ज है। अपीलकर्त्ता ने उक्त जमीन कुर्फा से 1936 ई0 में प्राप्त करने का दावा किया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा

1949 के पूर्व का कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि उक्त जमीन रैयती प्रकृति का है एवं इस तरह की जमीन का संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के प्रावधान के अनुसार हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–40/14–15 आदेश दिनांक–16.02.2016 को न्यायसंगत मानते हुए बरकरार रखा जाता है एवं अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है। चूँकि अंचल अधिकारी, गोड्डा के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता विकास मंडल को छोड़कर अन्य उच्छेद व्यक्तियों के द्वारा अन्य 1. प्रेमलता देवी, पति–अखिलानंद ओझा, 2. माया देवी, पति–विद्यानंद पांडेय, 3. सुनिता देवी, पति–प्रकाश आर्या, 4. रीता देवी, पति–घनश्याम मंडल, 5. ललन साह, पिता–सुबोध साह को हस्तांतरित किया है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत प्रेमलता देवी एवं अन्य 04 व्यक्तियों पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर नियम संगत आदेश पारित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

01/09/21 — उपायुक्त, गोड्डा।

01/09/21 — उपायुक्त, गोड्डा।

Seen 27/10/2021

Seen 01.09.2021

संख्या 143 13/9/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:05:29 +05:30
Location: 192.168.29.8